न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

अदालत – उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ राज.
इजलास – श्री राजेश कुमार नायक R.A.S.

1. सोहनबाई पुत्री उदा पत्नी अंबालाल जाति गुर्जर निवासी हनुमान चौराहा तहसील व जिला प्रतापगढ़

...............अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री केशर पिता उदा जाति गुर्जर निवासी बारावरदा तहसील व जिला प्रतापगढ़
2. श्रीमति दाखु पुत्री केशर पत्नि राजमल गुर्जर निवासी बारावरदा
3. श्रीमति भगवती पुत्री केशर पत्नि प्रकाशचन्द्र गुर्जर निवासी बारावरदा
4. सरपंच ग्राम पंचायत बारावरदा तहसील प्रतापगढ़

...............रेस्पोण्डेन्ट्स

–:अपील:–

अपील नामान्तकरण संख्या 257 दिनांक 09/05/1971 द्वारा ग्राम पंचायत बारावरदा

मुकदमा नम्बर–05/2023
निर्णय दिनांक :– 02/08/2024

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस का सजरा खानदान निम्न है :–

उदा पिता धन्ना जी (फोत)

रोड़ीबाई (पत्नि)फोत | सुखा (पुत्र) | केशर (पुत्र) | सोहनबाई (पुत्री) | मांगीबाई (पुत्री)फोत

केशर (पुत्र): दाखु(पुत्री) | भगवती(पुत्री)

यह कि अपीलान्ट व विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री उदा पिता धन्ना गुर्जर के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भमि वाके ग्राम बारावरदा प0ह0 बारावरदा तहसील व जिला प्रतापगढ़ में होकर स्थित रही है जिसके पुराने साबिक आराजी संख्या 318 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा व आराजी संख्या 326 रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बिघा राजस्व रिकार्ड में सम्वत 2026–29में दर्ज रिकार्ड रहे है जिसके बिल मुकाबिल नवीन आराजी संख्या 2190, 2092, 2190, 2191 रकबा 0.23, 0.02, 0.35, 0.33 कुल किता 4 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर हुवे है।

यह कि उदा जी के देहान्त हो गया है स्व0 उदाजी को उक्त आराजी विरासत से प्राप्त हुई थी, उदा जी के देहान्त के बाद विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी विरासत से अपने व अपने भाई सुखा के नाम दर्ज करवा दी। जबकी अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजीयात में हक व अधिकार रहा है।

यह कि विपक्षी संख्या 1 ने अपने भाई सुखा जो कि लाओलाद फोत हुआ है से आराजी अपनी पुत्री दाखु व भगवती विपक्षी संख्या 2 ,3 के नाम करवा दी एवं विपक्षी संख्य 1 ने अपने हिस्से की आराजीयात को भी विपक्षी संख्या 2,3 के नाम करवा दी ।

उक्त आराजीयात मौरूसी जायदाद होने के क़ारण अपीलान्ट का हक व हिस्सा बनता है उक्त आराजीयात में उदाजी के देहान्त के बाद विपक्षी संख्य 1, भाई सुखा के साथ–साथ अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामत होनो चाहिए था नामान्तरण संख्या 257 दिनांक 09/05/1971 विरासत से विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तरण संख्या 257 मौजा बारावरदा सरपंच ग्राम पंचायत बारावरदा दिनांक 09/05/1971 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में भी विरासत से नामान्तरण खोला जावे।

अपील अपीलार्थीगण दिनांक 22/06/2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की बाद तामील प्राप्त ,बाद तामील रेस्पोडेन्टसगण कि ओर से वकालतनामा पेश हुआ । आगामी पेशीयो पर रेस्पोडेन्टसगण अनुपस्थित रहे बार–बार आवाज लगाई गई, परन्तु बावजूद आवाज अनुपस्थित एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली वास्ते बहस हेतु प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गयी।

मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि मौजा बारावरदा पटवार हल्का बारावरदा सरपंच ग्राम पंचायत बारावरदा विरासत नामान्तरण संख्या 257 दिनांक 09/05/1971 को अपास्त किया जाता है ।

Scanned with CamScanner

–:आदेश:–

तः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर मौजा बारावरदा पटवार हल्का बारावरदा की आराजी नम्बर क्रमशः राजी संख्या 2190, 2092, 2190, 2191 रकबा 0.23, 0.02, 0.35, 0.33 कुल किता 4 कुल रकबा 0.93 हैक्टेयरं इन्तकाल नम्बर 1257 दिनांक 09/05/1971 को अपास्त किया जाता है।

हसीलदार, प्रतापगढ़ को आदेशित किया जाता है कि विरासत से पुनः जांच कर नामान्तरण दर्ज करे। उक्त ादेश की पालना हेतु तहसीलदार, प्रतापगढ़ को पृथक से पत्र जारी हो।

पह निर्णय आज दिनांक 02/08/2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ (राज.)

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
प्रतापगढ